रामकरण
बिरदीचन्द

2/7/15. पंचायती लोक अदालत ग्राम आवलहेड़ा में पेश हुई। पक्षकार श्री पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से आपसी विवाद के संबंध में जमीन पर जबरन कब्जा नहीं करने बाबत पाबन्द करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः पक्षकारों की आपसी सहमति से प्रतिवादीगण को उपर्युक्त पाबन्द किया जाता है कि वाद के संबंधित जमीन, ग्राम आवलहेड़ा की खसरा सं. 8 की खसरा 394 की 3.15 बीघा जमीन की किसी भी भाग पर जबरन निर्माण कार्य का कब्जा न ही करे। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पंचायती लोक अदालत नम्बर से खारिज

रामकरण
सरपंच
ग्राम पंचायत आवलहेड़ा
मनोहरथाना जिला झालावाड़

अध्यक्ष
लोक अदालत
मनोहरथाना (झालावाड़)

वादपत्र
19.11.1
रामक
जिल
1-
2-
3-
4
5